2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नवीन शर्मा बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 154 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.11.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नवीन शर्मा, पता आशीर्वाद प्लॉट नं. 25, सेक्टर 7 एक्सटेंसन, न्यू पॉवर हाउस रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.08.2017 में उसके द्वारा (1) ख. नं. 565 गांव बनाड़ जिला जोधपुर को किस नियम के तहत डोली भूमि से हटाया गया, जबकि पूर्व में उक्त खसरा वि. संवत 2020 तक डोली भमि के सामिल था व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	